

(1)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-2

क्रमांक - 125/2020/ब-6/चार

भोपाल दिनांक 19/02/2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष ।

विषय:- मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना का क्रियान्वयन।

मंत्रि-परिषद् आदेश दिनांक 04.01.2020 के द्वारा मध्यप्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की सहमति प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य बीमा योजना कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिये भी लागू होगी। अतः कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का डाटा अद्यतन करने की आवश्यकता है।

2. वर्तमान में कर्मचारियों के डेटाबेस का संधारण आईएफएमआईएस के अन्तर्गत आयुक्त कोष एवं लेखा के द्वारा संधारित किया जा रहा है। IFMIS के अन्तर्गत कर्मचारियों को लॉगइन आई.डी. पासवर्ड उपलब्ध कराये गये हैं। कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है कि वे अपने परिवार का विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सकें। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिये कर्मचारियों पर आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।

3. अतः अनुरोध है कि आपके विभाग के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों द्वारा अपने परिवार के आश्रित सदस्यों का पूर्ण विवरण आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिन कर्मचारियों के द्वारा अपने स्तर पर यह कार्य नहीं किया जा सके, उनके लिये प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय प्रमुख के द्वारा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाये। यह कार्य दिनांक 29.02.2020 तक अनिवार्यतः पूर्ण किया जाये। IFMIS सॉफ्टवेयर में कर्मचारी परिवार विवरण और नामांकित विवरण भरने की प्रक्रिया परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किये गये सदस्यों के विवरण का सत्यापन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाकर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में चस्पा भी किया जाये।

(गुलशन बामरा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक- 125/2020/ब-6/चार

भोपाल दिनांक 19/02/2020

1. आयुक्त कोष एवं लेखा।
2. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
3. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(गुलशन कामरा)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

IFMIS: कर्मचारी परिवार विवरण और नामांकित विवरण भरने की प्रक्रिया

1. शासकीय सेवक को परिवार का विवरण दर्ज / अपडेट करने हेतु निम्नांकित लिंक के माध्यम से लॉगिन करने की सुविधा प्रदत्त है।-

a) Intranet के माध्यम से स्वान/एनआईसी-नेट/वीपीएन नेटवर्क हेतु लिंक <https://ifmisprod.mptreasury.gov.in/IFMS>

b) इंटरनेट (Internet) / मोबाइल हेतु लिंक: <https://mptreasury.gov.in/IFMS>
(* कृपया पॉप अप ब्लॉकर को अनुमति दें)

2. प्रक्रियाओं के लिए पूर्व अपेक्षा:

• यूजर आईडी, कोषालय यूनिक एम्पलाई कोड है जिसका पासवर्ड आहरण एवं संवितन अधिकारी (डीडीओ) से प्राप्त किया जा सकता है

अथवा

• IFMIS में दर्ज मोबाइल नम्बर के OTP माध्यम से पासवर्ड रिसेट किया जा सकता है।

3. कर्मचारी परिवार के सदस्य विवरण जोड़ने या अपडेट की प्रक्रिया लॉगिन उपरान्त निम्न नेविगेशन: HRMIS -> ESS (Employee Self Service) -> E-Profile->Family detail. पर जाकर

परिवार के सदस्यों का विवरण नाम, जन्म तिथि, कर्मचारी के साथ संबंध, बैंक विवरण, शिक्षा, सदस्य का पता आदि जानकारी दर्ज की जा सकेगी और परिवार का विवरण स्कैन संलग्नक अपलोड करें

- सदस्य जोड़ने के लिए Add क्लिक करें (कई सदस्यों को एक बार में जोड़ा जा सकता है)।

- Submit पर क्लिक करें। इसके बाद अनुरोध (Request) हॉयरारकी में सत्यापनकर्ता (Verifier) की कार्य सूची में अद्योचित होगा। अनुमोदन के उपरान्त परिवार के सदस्य को जोड़ने या अद्यतन करने की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

- कर्मचारी Approved request tab में पहले से मौजूद सदस्य की जांच कर सकता है।



गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
सचिव/Secretary
मध्य प्रदेश शासन
Government of Madhya Pradesh
वित्त विभाग
Finance Department

4. On behalf request प्रक्रिया: शासकीय सेवक जिन्हें ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग के माध्यम से परिवार के विवरण की जानकारी भरने में असुविधा है उनके के लिए ऑन बिहाफ रिक्वेस्ट के माध्यम से कार्यालय प्रमुख द्वारा जानकारी अपडेट की सुविधा दी गई है: -

नेविगेशन: HRMIS -> ESS (Employee Self Service) -> Miscellaneous Request ->

Apply on Behalf

प्रक्रिया: - कर्मचारियों से प्राप्त पत्र संख्या और तारीख रसीद दर्ज कर संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्पलाई कोड सर्च कर चुने। इसके बाद शेष प्रक्रिया स, क्र,3 पर दी गई कर्मचारी परिवार विवरण जोड़ने या अपडेट प्रक्रिया के समान ही पूर्ण करें।


गुलशन बामरा / Gulshan Bamra
सचिव/Secretary
मध्यप्रदेश शासन
Government of Madhya Pradesh
वित्त विभाग
Finance Department